

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक: एफ. सी.सी / स्वा.निरी. / 2024 / दिनांक :

## आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)/एफडी/रुल्स/2017/ दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानानुसार निम्नलिखित एमपीडब्ल्यू को राज्य सेवा में 27 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुखानुसार एतद द्वारा ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	पूर्ण सेवावधि	ए.सी.पी स्वीकृति दिनांक	पै-बैंड/लेवल
1	श्री लीलाधर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु0)	11.02.1991	27 वर्ष	11.02.2018	एल-11
2	श्री ख्यालीराम मीणा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु0)	27.02.1991	27 वर्ष	27.02.2018	एल-11

स्वीकृत ए.सी.पी में वेतन निर्धारण संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

दिनांक : 07/03/2024

क्रमांक: एफ.02.सी.सी / स्वा.का.पु. / 2024 / 57

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन, जयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर/अलवर।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लक्ष्मणगढ, सीकर/ लक्ष्मणगढ, अलवर।
- प्रभारी सर्वर रुम कमरा नं0 302 मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
5387710

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :06-03-2024 06:13:02